कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर।

(सी० एच० एरिया रोड नं० 1, जमशेदपुर–831001)

दूरभाष संख्या– 0657–2231017, फैक्स–0657–2231017, ई–मेल– dfo-jamshedpur@gov.in

पत्रांक: 295 / जमशेदपुर   दिनांक: 11/02/2023.

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमण्डल,
जमशेदपुर।

सेवा में,

विमानपत्तन निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
बिरसा मुण्डा विमानपत्तन,
राँची।

विषय :– धालभूमगढ़ हवाईअड्डा के विकास हेतु 99.256 हेक्टर वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 960 दिनांक 16.09.2022
2. क्षेत्रीय मुख्य वन सरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर का पत्रांक 1819 दिनांक 22.09.2022 एवं पत्रांक 2139 दिनांक 18.11.2022
3. इस कार्यालय का पत्रांक 2218 दिनांक 21.09.2022 एवं पत्रांक 2381 दिनांक 07.10.2022
4. आपका पत्रांक 23 दिनांक 06.02.2023

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयान्तर्गत आपके द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन में क्रम संख्या– 3 एवं 4 में त्रुटी पूर्ण है। पाई गई त्रुटियाँ निम्नवत् है :–

बिन्दु संख्या	प्रश्न	पाई गई त्रुटियां
3.	मूल प्रस्ताव के साथ कुल 106.00 हे० का KML Files समर्पित है, जबकि 99.256 हे० वन भूमि एवं 0.729 हे० गैर वनभूमि का कुल 99.985 हे० भूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित है। अतएव वनभूमि एवं गैर वनभूमि का अलग–अलग KML Files प्रस्तावित रकवा के आधार पर Online तथा CD के रूप में समर्पित किया जाय।	आपके द्वारा समर्पित KML File में त्रुटियां परिलक्षित हुई है जो निम्नवत् है :– **गैर वनभूमि** समर्पित KML File का रकवा हे० में: 0.709 वास्तविक रकवा हे० में: 0.729 भिन्नता हे० में: 0.020 **वनभूमि** समर्पित KML File का रकवा हे० में: 53.847 वास्तविक रकवा हे० में: 53.853 भिन्नता हे० में: 0.006

4.	मूल प्रस्ताव के साथ समर्पित Cost Benefit Analysis में प्रस्तावित वनभूमि का रकवा 97.166 हे० दर्शाया गया है एवं उसी रकवा के आधार पर Report में Calculations की गई है। इसमें सुधार अपेक्षित है, क्योंकि अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का रकवा 99.256 हे० है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्गत NPV revised rates दिनांक 06.01.2022 से प्रभावी है। अतएव Cost Benefit analysis में NPV दर के आधार पर की गई गणना को संशोधित किया जाना अनिवार्य है। वर्णित दोनों बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संशोधित Cost Benefit Analysis Report समर्पित किया जाय।	प्रस्तावित वन भूमि का घनत्व 0.71 है। भारत सरकार द्वारा निर्गत NPV Revised rates दिनांक 06.01.2022 के दिशानिर्देश के आलोक में 1357110/– दर प्रति हेक्टर के आलोक में NPV राशि की गणना की जानी है। जबकि आपके द्वारा 1228590/– दर प्रति हेक्टर के आलोक में गणना कर लागत–लाभ प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जो कि त्रुटी पूर्ण है।
5.	प्रस्ताव से संबंधित वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् संबंधित उपायुक्त का प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा की कार्रवाई की प्रति।	आपके द्वारा अब तक प्रस्ताव से संबंधित वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् संबंधित उपायुक्त का प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा की कार्रवाई की प्रति समर्पित नहीं किया गया है।

पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित त्रुटियों का निराकरण करते हुए प्रतिवेदन Hard Copy में वांछित अभिलेखों सहित समर्पित किया जाय तथा इसे Online भी अपलोड किया जाय ताकि प्रस्ताव के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभजन

11/02/2023

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमंडल,
जमशेदपुर।